APP-A
Crim-I

FROM No. -III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा केम्प कोर्ट उखलियॉ

उगमी देवी पत्नि बालूराम शर्मा
निवासी– उंखलिया

बनाम शोभाराम पिता बलदेव जाट
निवासी– हुरडा

किस्म मुकदमा–वाद पत्र अन्तर्गत धारा– 53, रा.टी. ए. प्रकरण संख्या– 19/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[redacted]		

06.06.2018

प्रत्रावली आज लोक अदालत केम्प कोर्ट उखलियॉ पर पेश हुई । वकील वादी उपस्थित । वकील वादी के द्वारा दिनांक 12.03.2018 को प्रस्तुतशुदा प्रार्थना पत्र आदेश –22 नियम 4 जाब्ता दिवानी का शामिल पत्रावली रहे । वकील वादी की इस्तदुआ करनें पर प्रार्थना पत्र पर बहस सूनी गयी । मैंने बहस पर ममन किया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया तद्नुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी आदेश 22 नियम 4 जाब्ता दिवानी का स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या–1 शोभाराम के स्थान पर श्रीमति उछब देवी पत्नि शोभाराम , रामदेव शिवराज, पिता शोभाराम , लाली देवी , पुत्री शोभाराम पत्नि गोविन्द राम जाट निवासी. नया जोरावरपुरा मजरा गुलाबपुरा को प्रतिस्थापित किये जाने के आदेश दिये जाते है ।

[redacted]

वकील वादी के द्वारा कथन किया गया कि मामला मात्र भूमि विभाजन का है , आराजीयात वादी व प्रतिवादी संख्या– 1 से 3 की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है , जिसमें वादीया 14/135 व प्रतिवादी संख्या– 1 से 3 का 121/135 हिस्सा है , और इसी हक हिस्से के अनुसार पक्षकारान काबिज काश्त चले आ रहे है । आराजीयात का विभाजन नही होने से वादिया को ऋण प्राप्त करनें तथा अपने हिस्से की भूमि को तरक्की देने सिंचाई इत्यादि में काफी कठिनाई का सामना करना पड रहा है , इसलिये माफिक हक हिस्सेनुसार भूमि का विभाजन करवाया जावें ।

मैने वकील वादी को सूना । बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया । विवेचन निम्नानुसार रहा है । वादी के द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 मौजा उंखलिया तहसील हुरडा के अनुसार आराजी नं.– 1498/1178 रकबा 06 बीघा 15 बिस्वा भूमि गणेश , गोपाल पिता मांगू , दुर्गालाल पिता श्रवण, सन्तोकी पुत्री श्रवण बागरियॉ 3/4 , सुखदेव पिता मांगू बागरियॉ 19/135, उगमी बेवा बालू शर्मा 14/135, साकिन देह दर्ज रिकार्ड होना , तथा बिकाव से सम्पूर्ण खाता शोभाराम , बालूलाल , मेघाराम, पिता बलदेव जाट 121/135 हिस्सा उगमी बेवा बालू शर्मा 14/135 दर्ज रिकार्ड आना प्रकट आया है ।

यहॉ वादीया का कथन है कि आराजीयात संयुक्त कब्जेकाश्त की होने से ऋण प्राप्त करनें तथा आराजीयात को तरक्की देने में काफी कठिनाई का सामना करना पड रहा है । इसिलये भूमि

सहायक कलेक्टर
S. D. O. गुलाबपुरा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

का विभाजन कराना चाहा है । इसके विपरीत प्रतिवादीगण ना तो न्यायालय में उपस्थित हुये और ना ही उनके द्वारा जवाब आदि प्रस्तुत किया गया चूँकि आराजी जेर बहस की वादीया खातेदार काश्तकार है और खातेदार को अपनी भूमि का विभाजन करनें का पूर्ण अधिकार होने से दावा वादी प्राथंमिक डिकी किया किये जाने योग्य है ।

::–निर्णय::–

दावा वादी, प्राथमिक डिकी किया जाकर मौजा उंखलिया तहसील हुरडा की आराजी नं.– 1498/1178 रकबा 06 बीघा 15 बिस्वा भूमि के खातेदान काश्तकारान के मध्य उनके हक हिस्से के अनुसार भूमि व लगान विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है । तहसीलदार हुरडा को निर्देश दिये जाते है कि वह आज ही भूमि व लगान का विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव मय लगान फाटनी प्रस्तुत करें । निर्णय आज 06.06.2018 को खुली लोक अदालत केम्प कोर्ट उखलिया परं सुनाया गया ।

(नन्दकिशोर सजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

06.06.2018

तहसीलदार हुरडा के द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर प्रस्तुत किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

1– उगमी पत्नि बालू शर्मा साकिन देह के हिस्से में :–

मौजा	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
उंखलिया	1609/1178	00 बीघा 13 बिस्वा	
कुल किता 1		00 बीघा 13 बिस्वा	

2– शोभाराम , बालूलाल, मेघाराम पिता बलदेव जाट सा0 देह के हिस्से में :–

मौजा	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
उंखलिया	1498/1178	06 बीघा 00 बिस्वा	2.40
कुल किता 1		06 बीघा 00 बिस्वा	2.40

3– शामिल में रहेगी :–

मौजा	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
उंखलिया	1608/1178	00 बीघा 02 बिस्वा	गे0मू0चाह
कुल किता 1		00 बीघा 02 बिस्वा	

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

उक्त प्राप्तशुदा विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी को सुना गया । उपस्थित वकील वादी के द्वारा तहसीलदार हुरडा से उक्त प्राप्तुसदा विभाजन प्रस्ताव को सही होकर स्वीकार किया जाना जाहिर किया है ।

मैने भी प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया। तदनुसार तहसीलदार हुरड़ा से उक्त प्राप्तशुदा विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। तथा इसी अनुरूप प्रकरण मे अंतिम डिक्री पर्चा तैयार किये जाने के आदेश दिये जाते है । तद्नुसार अन्तिम डिक्री पर्चा तैयार किया जावें पत्रावली सुमार फेसल होकर दाखिल दफतर करें । आदेश आज दिनांक 06.06.2018 को खुली लोक अदालत केम्प कोर्ट उखलियॉ पर सुनाया गया।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner